

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 अप्रैल 2013—चैत्र 12, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2013

सूचना

क्र. एफ-3-146-2011-बत्तीस.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत मढ़ई निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 2 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) पर है जिसका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :—

- (1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- (2) कलेक्टर होशंगाबाद
- (3) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, होशंगाबाद.

2. प्रारूप विकास योजना मढ़ई 2021 की पुस्तिका में कंडिका 1.5 (द), कंडिका 1.7, सारणी-1-सा-8, सारणी-1-सा-9, कंडिका 3.3,3.7,4.3 (ई), 4.4, 6.2, 6.10 तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 4.1, में टंकन त्रुटियां ठीक की जाना प्रस्तावित है.

3. **उपांतरण का विवरण.**—(क) तालिका 2-सा-1 वर्तमान भूमि उपयोग के स्थान पर संशोधित तालिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

(ख) प्रारूप विकास योजना 2021 के अध्याय 5 के स्थान पर नया अध्याय 5 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

प्रस्ताव का विस्तृत विवरण [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) पर अवलोकन किया जा सकता है.

उक्त उपांतरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं. समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**वर्षा नावलेकर**, उपसचिव.